बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पश्चिम चम्पारण) 02–29/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............

समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक–30 दिनांक–19.02.2026 द्वारा **श्री उदय शंकर मिश्र, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा–1, पश्चिम चम्पारण** के विरुद्ध दाखिल–खारिज वाद सं०–130/18–19 एवं 157/2018–19 में गैरमजरूआ खाते की भूमि का खाता बदल कर दाखिल–खारिज की स्वीकृति दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–790(15), दिनांक–15.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री मिश्र द्वारा अपने पत्रांक–कैम्प (1), पटना, दिनांक–30.06.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री उदय शंकर मिश्र के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री मिश्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा/श्री उदय शंकर मिश्र, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा–1, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति **अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पश्चिम चम्पारण) 02–29/2026–1196 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–06/8/26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा/ श्री उदय शंकर मिश्र, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा–1, पश्चिम चम्पारण **सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Uday shankar mishra_CO(bagha_1_west cham).doc

ज्ञापांक–15/आरोप (पश्चिम चम्पारण) 02–29/2026–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

स्पीड–पोस्ट प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारंभ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन/अधिगम मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पश्चिम चम्पारण) 02–29/2026–....1196....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...06/8/26...

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/26

(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।